The Speaker made an announcement admitting a Motion for presenting an address to Hon?ble President of India for removal of Justice Yashwant Varma, Allahabad High Court and constituting a committee for the purpose of making an investigation into the grounds on which the removal of Justice Yashwant Varma is prayed for

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्यगण, मुझे दिनांक 21 जुलाई, 2025 को श्री रविशंकर प्रसाद और सदन में प्रतिपक्ष के नेता सहित सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष के कुल 146 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए एक समावेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है :-

?यह सदन संकल्प करता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को उनके निम्नलिखित कदाचार के लिए पद से हटाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति को एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :-

(1.) दिल्ली उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा (वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) के सक्रिय नियंत्रण और कब्जे में नई दिल्ली, स्थित 30, तुगलक क्रिसेंट परिसर, में आग लगने के कारण अस्पष्टीकृत नकदी की बरामदगी के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक किया गया विवरण ।

(2.) हमें 15 मार्च, 2025 की सुबह 30, तुगलक क्रिसेंट, नई दिल्ली से जली हुई नकदी/धन/मलबे को हटाने के संबंध में साक्ष्य की भी जानकारी है । हमने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के सामान्य प्रावधान और विशेष रूप से उसकी धारा 3 के प्रावधानों का अध्ययन किया है और हमें उनके बारे में परिचित कराया गया है । हमने न्यायाधीश (जांच) नियम, 1969 के प्रावधानों का भी अध्ययन किया है और हमें उनके बारे में भी परिचित कराया गया है ।

(3.) हमने सी. रविचंद्रन अय्यर बनाम न्यायमूर्ति ए. एम. भट्टाचार्य एवं अन्य [(1995) 5 एससीसी 457] केस में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून के साथ-साथ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ?एक्स? बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मामले में दिए गए फैसलों से भी खुद को परिचित कर लिया है । [(2015) 4 एससीसी 91] ।

और यह कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ?एक्स? (सुप्रा) के मामले में उक्त निर्णय को सामान्यतः और विशेष रूप से पैरा 33 को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति

यशवंत वर्मा के विरुद्ध शिकायत को गंभीर प्रकृति का पाया और उक्त निर्णय के पैरा 33 के तहत परिकल्पित ? इन-हाउस प्रक्रिया? का पालन किया ।

(4.) यह भी स्पष्ट है कि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने इस गंभीर एवं चौंकाने वाली घटना और तथ्यों पर विचार करने के बाद और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की प्रतिक्रिया तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए यह राय बनाई कि इस विषय पर गहन जांच आवश्यक है । इसलिए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ?एक्स? [सुप्रा] के मामले में निर्णय के पैरा 33(3) में परिकल्पना के अनुसार एक 3 - सदस्यीय समिति का गठन किया ।

(5.) हमें यह भी ज्ञात है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने समिति की रिपोर्ट भारत के महामहिम राष्ट्रपति और भारत के माननीय प्रधानमंत्री को भेजी है । यह स्पष्ट है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ?एक्स? [सुप्रा] के मामले में दिए गए फैसले के पैरा 33(7) के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया है, जो स्पष्ट रूप से भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की राय को दर्शाता है कि पैरा 33(3) के तहत गठित समिति की रिपोर्ट में पाए गए आरोप इस प्रकृति के हैं कि उक्त न्यायाधीश को हटाने की कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता है ।

(6.) उपर्युक्त तथ्यों के अवलोकन और सार्वनजिक रूप से उपलब्ध तथ्यों, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के कब्जे वाले और उनके नियंत्रण में स्थित आधिकारिक परिसर से जली हुई नकदी की बरामदगी और उसे हटाने से संबंधित परिस्थितियों की स्वतंत्र रूप से जांच करने के बाद हम स्वतंत्र रूप से यह भी पाते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार शुरू की जानी चाहिए । बेदाग चरित्र और वित्तीय/बौद्धिक ईमानदारी न्यायपालिका में एक आम आदमी द्वारा रखे गए विश्वास की नींव है ।

और यह भी कि वर्तमान मामले से जुड़े तथ्य जो कि भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं, वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत कार्यवाही और प्रक्रिया के योग्य हैं और संसद को इस विषय पर एक स्वर में बोलना चाहिए और देश के प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के प्रति ?ज़ीरो-टॉलरेंस? के अपने संकल्प के बारे में एक स्पष्ट संदेश भेजना चाहिए ।

(7.) अतः हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए यह प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं ।

कृपया इस प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई की जाए ।

इस प्रस्ताव को नियमानुसार उचित पाते हुए, मैंने इसकी स्वीकृति प्रदान की है । न्यायाधीश (जांच) अधिनियम 1968 की धारा 3 की उप-धारा 2 के अनुसार मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित तीन सदस्यों वाली एक समिति गठित की है:?

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय,

2. माननीय न्यायमूर्ति श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय,

3. श्री बी. वी. आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, कर्नाटक उच्च न्यायालय ।

समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक यह प्रस्ताव लंबित रहेगा ।

———